

सामग्री प्रपत्र स्पष्ट/बाह्यकार रखन
से पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो।

17.8.21

पत्रावली पेश हुई ककील वार्दा के प्रतिनिधि श्री श्याम
लाल रेगड अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिनिधि पत्र की शां-पठ
किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल होकर
प्राप्त हुए जिसे शां-पठ किये गये। वास्ते पत्रावली
में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत
दिनांक 28.9.21 को पेश हो।

8.12.21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
कैम्प गाँव पंचायत आलमास में पेश हुई।
वादा एवं प्रतिवादी उपस्थित। तहसीलदार
भाण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादा
एवं प्रतिवादीगण की आराधियात कानिष्ठा
नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने
का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार
तहसीलदार भाण्डल राजस्व रिकार्ड में
दर्ज करे।

हम
बख
सं
हो

1.

भगवानदास ज० श्री बालुदास बैरागी निवासी
फेरिया तहमांडल ब्वावेदार

<u>आ. नं०</u>	<u>रकबा</u>	<u>फिसम</u>
<u>3605</u> 1873/1	0.0211	बेजड
<u>1873</u> 6/1	0.1475	बेजड
<u>3654</u> 1873/1	0.0843	बेजड

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी भाण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

1825मी. 0.0100 बंजड
1762मी. 0.2176 खादी (0.2176है.)

कुल क्ति 05 रकबा 0.4805 हैक्टयर

अर्जुनदास शं. श्री बाबूदास 1/2 वैरागी सा-देह
स्वातेदार व शान्ती शं. बाबूदास 1/2 वैरागी
सा-देह स्वातेदार

आ.ं.बं. रकबा किस्म

3605/1873मी. 0.0421 है. बंजड
1873/6मी. 0.2951 है. बंजड
3054/1873मी. 0.1686 है. बंजड
1762/1 0.1365 है. खादी
1825/1 0.2050 है. बंजड
1841 0.1138 है. वा. I

क्ति 06 रकबा 0.9611 हैक्टयर

उक्तानुसार आराजियात का वादी ऐंव प्रतिवादी
से. 01 व 02 के हक हिस्सेनुसार भूमि
का राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का
आदेश दिया जाता है तहसीलदार माण्डल अमलदार
वादी ऐंव प्रतिवादी से. 1 व 2 के माम राजस्व
रेकार्ड में अमल दरामद करे। तदनुसार
डिडी जारी है। खर्चा फरिडेन अपना-2
वहन करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर
मम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री डॉ. पूजा सक्सेना (आ००१०१००)

अनवान प्रकरण

भगवानदास ज० श्री बालूदास वैरागी निवासी- कैरिया तहसील-मांडल

वादी

बनाम

अर्जुनदास ज० श्री बालूदास वैरागी निवासी- कैरिया तहसील-मांडल
शान्ती ज० श्री बालूदास वैरागी
राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार-मांडल तहसील-मांडल
परंपरीयडु मलेदय, परंपरीयन कार्यालय मांडल तहसील-मांडल

प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 53, 188 मुकदमा नं० / वर्ष 20/20 निर्णय दिनांक 08.12.21
मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
नजानिब मुददई व श्री अम्बालाल जाट A/W मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम
या जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादी का वादपत्र स्वीकार
केया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कैरिया पखार
शुका कैरिया तहसील माण्डल में स्थित श्वाता सं. 490 का
विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य निम्नोक्त आराजी
का एक हिस्सेनुसार राजस्व बैकार्ड में दर्ज करे।

श्री भगवानदास ज० श्री बालूदास वैरागी निवासी- कैरिया तहसील मांडल

आराजी नं०	3605	1873	3054	1825 मी.	1762 मी.	खिटा 05
	1873/1	6/1	1873/1			
रकबा	0.0211	0.1475	0.0843	0.0100	0.2176	कुल 0.4805
किस्म	बेण्ड	बेण्ड	बेण्ड	बेण्ड	2वाडी	रकबा

आज तारीख 08.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

2. श्री अर्जुनदास 5/0 श्री बालुदास बैरागी 1/2 सा. देह खाते
 एवं शास्त्री 0/0 बालुदास 1/2 बैरागी सा. देह खाते

<u>आराजी नं.</u>	<u>रकबा</u>	<u>किस्म</u>
$\frac{3605}{1873}$ मी०	0.0421 हे०	बंजड
$\frac{1873}{6}$ मी०	0.2951 हे०	बंजड
$\frac{3054}{1873}$ मी०	0.1686 हे०	बंजड
$\frac{1762}{1}$	0.1365 हे०	खादी
1825/1	0.2050 हे०	बंजड
1841	0.1138 हे०	खादी

कुलखति 06 कुलरकबा 0.9611 हेक्टेयर

उक्तानुसार भूमि चार्ज एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के
 नाम वहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड में
 अमल दरामद करे। खर्चा फरिफेन अपना
 अपना वहन करे।

डॉ. पूजा सक्सेना
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021